

न्यूज़ टुडे

प्रधान मंत्री ने 'प्रधान मंत्री विकसित भारत रोजगार योजना' की घोषणा की

यह योजना श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत शुरू की गई है। इस योजना का लक्ष्य दो वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार सृजन को समर्थन प्रदान करना है।

इस योजना के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

इस योजना के दो प्रमुख भाग हैं -

- भाग A- पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों को सहायता: यह कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के साथ पंजीकृत पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों के लिए है।
 - प्रोत्साहन: एक महीने के EPF वेतन को ध्यान में रखते हुए नवनियोजित युवाओं को दो किस्तों में 15,000 रुपये तक का प्रोत्साहन।
 - पहली किस्त 6 महीने तक की नौकरी के बाद और दूसरी किस्त 12 महीने की नौकरी और कर्मचारी द्वारा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पूरा करने के बाद दी जाएगी।
 - पालन कर्मचारी: 1 लाख रुपये प्रति माह तक वेतन वाले कर्मचारी।
 - बचत को प्रोत्साहित करना: प्रोत्साहन राशि का एक हिस्सा एक निश्चित अवधि के लिए जमा खाते की बचत के रूप में रखा जाएगा।
 - भुगतान: यह आधार ब्रिज पेमेंट सिस्टम (ABPS) का उपयोग करते हुए DBT (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण) के माध्यम से किया जाएगा।
- भाग B- नियोक्ताओं के लिए प्रोत्साहन:
 - पालता: नियोक्ताओं को 1 लाख रुपये तक के वेतन वाले नए कर्मचारियों के संबंध में प्रोत्साहन मिलेगा।
 - प्रोत्साहन: सरकार कम-से-कम 6 महीने तक जारी रहने वाले प्रत्येक अतिरिक्त नियोजन के लिए नियोक्ताओं को दो साल तक प्रतिमाह 3000 रुपये तक का प्रोत्साहन प्रदान करेगी।
 - विनिर्माण क्षेत्र के लिए प्रोत्साहन तीसरे और चौथे वर्ष तक भी बढ़ाया जाएगा।
- प्रोत्साहन तंत्र: प्रोत्साहन राशि सीधे बैंक-लिंक्ड खातों में भेजी जाएगी।

दो भारतीय एक्वाणॉट्स ने अटलांटिक महासागर में अत्यधिक गहराई में गोता लगाकर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की

दो भारतीय एक्वाणॉट्स ने अटलांटिक महासागर में 4,025 और 5,002 मीटर की ऐतिहासिक गहराई तक गोता लगाकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। इस उपलब्धि के साथ, भारत गहरे समुद्र का अन्वेषण करने में सक्षम कुछ ही देशों की श्रेणी में आ गया है।

- यह गोता फ्रांस के समुद्री अनुसंधान संस्थान IFREMER के सहयोग से फ्रांसीसी सबमर्सिबल 'नौटाइल' से लगाया गया था। इस मिशन का नेतृत्व चेन्नई स्थित राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान (NIOT) की एक टीम ने किया था।
- यह ऐतिहासिक गोता भारत के समुद्रयान मिशन की एक प्रकार से तैयारी है, जो डीप ओशन मिशन का एक हिस्सा है।
 - 'समुद्रयान मिशन' 2027 में लॉन्च होगा। इसका लक्ष्य स्वदेशी रूप से विकसित सबमर्सिबल 'मत्स्य-6000' (MATSYA-6000) में तीन एक्वाणॉट्स को 6,000 मीटर की गहराई तक भेजना है।
 - मत्स्य-6000 अपनी तरह का पहला, चौथी पीढ़ी का वैज्ञानिक सबमर्सिबल होगा, जो समुद्र के भीतर सामान्य स्थिति में 12 घंटे और आपातकालीन स्थिति में 96 घंटे तक रह सकता है।

डीप ओशन मिशन के बारे में

- शुरुआत: 2021 में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा एक मिशन-मोड प्रोजेक्ट के रूप में।
- उद्देश्य: इस मिशन का उद्देश्य महासागर के संसाधनों की खोज और उनके संधारणीय उपयोग के लिए डीप ओशन प्रौद्योगिकियों का विकास करना है। इन प्रौद्योगिकियों से भारत की ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा तथा जलवायु परिवर्तन के प्रभावों व प्रदूषण से निपटा जा सकेगा।
- बजट और समय-सीमा: 4077 करोड़ रुपये का अनुमानित बजट। यह मिशन 5 साल (2021-2026) तक जारी रहेगा।

इसके अलावा, प्रधान मंत्री ने हाल ही में समुद्र में तेल और गैस के भंडारों का पता लगाने के लिए राष्ट्रीय डीपवाटर अन्वेषण मिशन (National Deepwater Exploration Mission) की भी घोषणा की है।



डीप ओशन मिशन

महासागर अन्वेषण के छह प्रमुख घटक



गहरे समुद्र में खनन और मानवयुक्त सबमर्सिबल

- मानवयुक्त सबमर्सिबल का विकास करना।
- ब्लू इकोनॉमी: गहरे समुद्र के संसाधनों का उपयोग करना।



महासागरीय जलवायु परिवर्तन पर सलाहकारी सेवाएं

- जलवायु परिवर्तनशीलताओं का भावी अनुमान।
- मौसम से लेकर दशकों तक की समय-अवधियों के लिए जलवायु से जुड़े कारकों का अनुमान लगाना।
- ब्लू इकोनॉमी: तटीय पर्यटन को बढ़ावा देना।



गहरे समुद्र की जैव विविधता का अन्वेषण और संरक्षण

- सूक्ष्मजीवों और समुद्री संसाधनों का अध्ययन।
- ब्लू इकोनॉमी: समुद्री मात्स्यिकी को बढ़ावा देना।



गहरे समुद्र का सर्वेक्षण और खोज

- संभावित स्थलों का अन्वेषण।
- महासागर संसाधन आकलन।



महासागर से ऊर्जा और स्वच्छ जल

- ऑफशोर ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन (OTEC)।
- OTEC-संचालित विलवणीकरण संयंत्र।



महासागरीय जीव विज्ञान के लिए अत्याधुनिक मरीन स्टेशन

- अनुसंधान को औद्योगिक उपयोग में लाना।
- ऑन-साइट व्यापार इनक्यूबेटर सुविधाएं।

प्रधान मंत्री ने अवैध प्रवासन से निपटने के लिए "हाई-पॉवर्ड डेमोग्राफी मिशन" की घोषणा की

इस मिशन का उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियों का समाधान करना है, ताकि विशेषकर सीमावर्ती क्षेत्रों में भारत के नागरिकों के अधिकारों, एकता और अखंडता की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

अवैध प्रवासन के बहुआयामी प्रभाव	
<p>सामाजिक-आर्थिक और जनसांख्यिकीय प्रभाव</p>	<p>राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चुनौतियां</p>
<p>जनसांख्यिकीय बदलाव: इससे असम, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में स्थानीय असंतोष उत्पन्न हो रहा है।</p>	<p>आतंकवाद से संबंध: चरमपंथी समूहों द्वारा कमजोर प्रवासी समुदायों का शोषण करके उन्हें अपने समूह में भर्ती करने और कट्टरपंथी बनाने का जोखिम होता है।</p>
<p>सार्वजनिक सेवाओं पर दबाव: इससे स्वास्थ्य देखभाल सेवा, शिक्षा, आवास और स्वच्छता तथा कल्याणकारी योजनाओं पर अत्यधिक बोझ पड़ता है।</p>	<p>सीमा सुरक्षा: सीमाओं का उपयोग वस्तुओं एवं मानव तस्करी आदि के लिए किया जाता है।</p>
<p>श्रम बाजार में गड़बड़ी: अवैध प्रवासी कम मजदूरी पर काम करते हैं, जिससे स्थानीय श्रमिकों की आर्थिक स्थिति प्रभावित होती है और मजदूरी संरचना पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।</p>	<p>सांप्रदायिक तनाव: अवैध प्रवासियों की उपस्थिति से नृजातीय/धार्मिक तनाव उत्पन्न होता है, जो कभी-कभी राजनीतिक लामबंदी और गलत सूचना के कारण और भी बढ़ जाता है।</p>
<p>भूमि अतिक्रमण: अवैध निवासी कृषि और वन भूमि पर अतिक्रमण करते हैं, जिससे संघर्ष व सामाजिक अशांति फैलती है।</p>	<p>राजनीतिक शोषण: अवैध प्रवासियों से संबंधित चुनावी उद्देश्यों के चलते प्रभावी नीति बनाने में बाधा उत्पन्न हो सकती है।</p>

उठाए जाने वाले कदम

- सीमा प्रबंधन को मजबूत करना: सीमा पर बाड़ को आधुनिक बनाना, ड्रोन, सेंसर और AI का उपयोग करके सीमा की स्मार्ट निगरानी करना, आदि।
- राष्ट्रीय शरणार्थी कानून बनाना: इसके तहत शरणार्थियों और अवैध प्रवासियों के बीच अंतर को स्पष्ट किया जाना चाहिए।
- बायोमेट्रिक रिकॉर्ड बनाए रखना: सभी अवैध प्रवासियों और शरणार्थियों का रिकॉर्ड रखना चाहिए, ताकि पहचान में धोखाधड़ी रोकी जा सके।
- भारतीय नागरिकों को राष्ट्रीय पहचान-पत्र (NID) जारी करना: NID/ भारतीय नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर (NRC) के कार्यान्वयन में तेजी लानी चाहिए।
- कानूनी एवं कूटनीतिक उपाय: सार्क/ बिस्स्टेक जैसे मंचों का उपयोग करके बांग्लादेश और म्यांमार के साथ द्विपक्षीय प्रत्यावर्तन (Repatriation) समझौतों पर वार्ता करनी चाहिए।
- प्रत्यावर्तन का अर्थ है किसी व्यक्ति को उसके मूल देश में वापस भेजना।
- अंतरराष्ट्रीय सहयोग: प्रत्यावर्तन सहित अवैध प्रवासन के प्रबंधन में सहायता के लिए शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त (UNHCR)/ अंतरराष्ट्रीय प्रवासन संगठन (IOM) के साथ सहयोग करना चाहिए।

स्टैंडर्ड एंड पूअर्स (S&P) ग्लोबल रेटिंग्स ने भारत की साँवरेन क्रेडिट रेटिंग को 'BBB-' से बढ़ाकर 'BBB' किया

S&P ने भारत की लंबी अवधि की साँवरेन क्रेडिट रेटिंग को 'BBB-' से 'BBB' और छोटी अवधि की रेटिंग को 'A-3' से 'A-2' कर दिया है, जिसमें आउटलुक स्थिर (Stable) है।

- यह 2007 के बाद, भारत के लिए S&P द्वारा पहला साँवरेन अपग्रेड है। 2007 में, भारत को BBB- के इन्वेस्टमेंट-ग्रेड में अपग्रेड किया गया था।
- यह अपग्रेड भारत की अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के प्रति प्रतिबद्धता; सार्वजनिक व्यय की बेहतर गुणवत्ता और मजबूत कॉर्पोरेट, वित्तीय और बाहरी बैलेंस शीट को दर्शाता है।

साँवरेन क्रेडिट रेटिंग (SCR) के बारे में

- यह क्या है: यह दरअसल किसी देश या संप्रभु संस्था के ऋण और उस पर ब्याज चुकाने के दायित्व को समय पर पूरा करने का आकलन है। इसमें संबंधित देश या संस्था की ऋण चुकाने की क्षमता और इच्छाशक्ति, दोनों को महत्व दिया जाता है।
- प्रमुख SCR एजेंसियां: S&P, Fitch और Moody's
- रेटिंग ग्रेड: SCR में मोटे तौर पर देशों को इन्वेस्टमेंट-ग्रेड या स्पेक्युलेटिव-ग्रेड में रेट किया जाता है। स्पेक्युलेटिव-ग्रेड वाले देशों पर कर्ज चुकाने में चूक (Default) का जोखिम ज्यादा होता है।
- इन्वेस्टमेंट-ग्रेड रेटिंग: S&P और Fitch के लिए यह BBB- से AAA तक होती है, जबकि Moody's के लिए यह Baa3 से Aaa तक होती है।
- महत्व: उच्च रेटिंग से वैश्विक पूंजी बाजारों से उधार लेने में मदद मिलती है, उच्च रेटिंग से विदेशी निवेश आकर्षित होता है, और कर्ज लेने की लागत कम होती है।
- सूचे: रेटिंग प्रक्रियाओं में पक्षपात, हितों का टकराव और रेटिंग सीलिंग को लेकर चिंताएं हैं।
- रेटिंग सीलिंग: यह इस विचार से संबंधित है कि किसी कॉर्पोरेट संस्था को उस देश की तुलना में उच्चतर रेटिंग नहीं दी जाती जिसमें वह स्थित है। इससे उस देश के घरेलू बाजार के विकास में बाधा आ सकती है।



प्रधान मंत्री ने वस्तु एवं सेवा कर (GST) में अगली पीढ़ी के सुधारों को रेखांकित किया

प्रधान मंत्री ने स्वतंत्रता दिवस 2025 के अपने संबोधन में GST में सुधार को लेकर कई अहम घोषणाएं कीं।

- ये सुधार संरचनात्मक सुधारों; GST दरों एवं स्लैब्स को कम करने तथा लोगों की परेशानियों को दूर करने से संबंधित हैं।
- इन सुधारों पर विचार करने के लिए एक प्रस्ताव जीएसटी परिषद द्वारा गठित मंत्रियों के समूह (GoM) को भेजा गया है।

प्रस्तावित मुख्य सुधार

संरचनात्मक सुधार:

- इनवर्टेड इयूटी प्रणाली में सुधार: इनका उद्देश्य इनपुट-आउटपुट कर दरों में सामंजस्य सुनिश्चित करना है, ताकि इनपुट टैक्स क्रेडिट के जमा होते रहने की समस्या को दूर किया जा सके और वैल्यू एडिशन को बढ़ावा मिल सके।
 - इनवर्टेड इयूटी कराधान प्रणाली का एक प्रकार है। इसमें किसी कच्चे माल (इनपुट) के आयात पर तुलनात्मक रूप से अधिक कर लगाया जाता है, जबकि उस कच्चे माल से तैयार उत्पादों (फिनिशड गुड्स) पर कम कर लगाया जाता है। यह तब भी देखा जाता है, जब कच्चे माल पर कर लगाया जाता है, लेकिन अंतिम उत्पाद कर-मुक्त होता है।
 - उदाहरण के लिए: टायर (तैयार माल) के आयात पर 10% शुल्क लगाना, वहीं प्राकृतिक रबर (टायर बनाने के लिए कच्चा माल) के आयात पर 20% शुल्क लगाना।
- वर्गीकरण संबंधी मुद्दों का समाधान करना: इसका उद्देश्य GST दरों को व्यवस्थित करना; विवादों को कम करना; नियमों के अनुपालन को सरल बनाना और समानता सुनिश्चित करना है।
- स्थिरता और अपेक्षा के अनुरूप: इसका उद्देश्य GST प्रणाली पर उद्योग जगत के विश्वास को मजबूत करने के लिए दरों एवं नीतिगत उपायों पर दीर्घकालिक स्पष्टता प्रदान करना है।

GST दरों और स्लैब को कम करना:

- आम आदमी के उपभोग की वस्तुओं और एस्पिरेशनल गुड्स पर करों में कमी की जाएगी।
- GST स्लैब की संख्या में कमी: इसका उद्देश्य मूल रूप से GST कर की दरों को दो स्लैब्स (स्टैण्डर्ड और मेरिट) तक सीमित रखते हुए इसे सरल बनाना है। विशेष दरें केवल चुनिंदा वस्तुओं पर लगाई जाएंगी।
- प्रतिपूर्ति उपकर (Compensation Cess) की समाप्ति से उत्पन्न चुनौतियों के समाधान के लिए वित्तीय संसाधनों का उपयोग किया जा सकता है। इससे लंबे समय तक GST की सफलता सुनिश्चित की जा सकती है।

परेशानियों को दूर करना:

- इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:
 - तकनीक-आधारित बिना बाधा के पंजीकरण;
 - पहले से भरे हुए रिटर्न (मैनुअल आवेदन को कम करना और विसंगतियों को समाप्त करना); तथा
 - निर्यातकों के लिए तेजी से व स्वचालित रिफंड प्रोसेसिंग।

वस्तु एवं सेवा कर (GST) के बारे में

- यह भारत में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाने वाला एक व्यापक अप्रत्यक्ष कर है।
- इसे 2017 में 101वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लागू किया गया था।
- मुख्य विशेषताएं:
 - एक राष्ट्र, एक कर: इसने उत्पाद शुल्क, सेवा कर जैसे विविध केंद्रीय व राज्य अप्रत्यक्ष करों को अपने में समाहित कर लिया।
 - द्वि-स्तरीय संरचना: इसमें केंद्रीय जीएसटी (CGST) और राज्य जीएसटी (SGST) शामिल हैं।
 - इसके अतिरिक्त, अंतर्राज्यीय आपूर्ति और आयात पर एकीकृत जीएसटी (ICGST) भी लगाया जाता है। इसे केंद्र सरकार द्वारा एकल किया जाता है, लेकिन गंतव्य राज्य को आवंटित कर दिया जाता है।
 - गवर्नेंस: जीएसटी परिषद वस्तु एवं सेवा कर पर निर्णय लेने वाली प्रमुख संस्था है।

अन्य सुर्खियां



नगर निगम

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा कि वह न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (NOIDA) को एक मेट्रोपोलिटन कॉर्पोरेशन में बदलने पर विचार करें, ताकि जन केंद्रित शासन सुनिश्चित किया जा सके।

- दिल्ली-NCR में स्थित नोएडा में कोई निर्वाचित स्थानीय सरकार नहीं है। यह उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 के तहत गठित न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (नोएडा) द्वारा शासित होता है।

नगर निगम

- इसे बड़े शहरों के प्रशासन के लिए बनाया जाता है और संबंधित राज्य विधायिकाओं द्वारा स्थापित किया जाता है।
- नगर निगम के तीन मुख्य प्राधिकरण होते हैं - परिषद (विधायी शाखा), स्थायी समितियां (परिषद के कामकाज को सुविधाजनक बनाती हैं) और आयुक्त (मुख्य कार्यकारी प्राधिकारी)।



ग्लोबल आउटलुक काउंसिल ऑन वाटर इन्वेस्टमेंट्स

दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति ने 'ग्लोबल आउटलुक काउंसिल ऑन वाटर इन्वेस्टमेंट्स (GOCWI)' के लॉन्च की घोषणा की।

GOCWI के बारे में

- इसे G20 प्रेसिडेंशियल लेगसी इनिशिएटिव के रूप में लॉन्च किया गया। यह ग्लोबल वाटर पार्टनरशिप (GWP) के ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन एजेंडा का एक प्रमुख स्तंभ है।
 - GWP एक बहु-हितधारक कार्रवाई नेटवर्क और अंतर-सरकारी संगठन है। यह जल संसाधनों के न्यायसंगत, संधारणीय और कुशल प्रबंधन के लिए कार्य करती है।
 - GWP के ट्रांसफॉर्मेशन एजेंडे का लक्ष्य वर्ष 2030 तक जल सुरक्षा के लिए 15 बिलियन डॉलर जुटाना है।
- यह विश्व भर में, जल सुरक्षा में निवेश के लिए राजनीतिक समर्थन और वित्तपोषण प्राप्त करने के लिए एक उच्च स्तरीय फोरम के रूप में कार्य करेगा।



परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन (PCA)

भारत ने सिंधु जल संधि की सामान्य व्याख्या के मुद्दे पर परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन (PCA) के फैसले को खारिज कर दिया।

परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन (PCA) के बारे में

- यह संधि-आधारित अंतर-सरकारी संगठन है। यह विवाचन (Arbitration) और अन्य तरीकों के माध्यम से देशों के बीच विवाद निपटान को सुगम बनाता है।
- स्थापना: इसकी स्थापना 1899 में प्रथम हेग शांति अभिसमय के दौरान अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण निपटान के लिए कन्वेंशन के तहत की गई थी।
- पक्षकार: भारत सहित 125 सदस्य।
- मुख्यालय: पीस पैलेस (नीदरलैंड के द हेग में)।



डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स

डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स/मेडिसिन सैन्स फ्रंटियर्स (MSF) इराक में आवश्यक देखभाल सेवा प्रदान करके वहां स्वास्थ्य देखभाल व्यवस्था में मौजूद व्यापक कमियों को दूर कर रहा है।

डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के बारे में

- यह एक अंतरराष्ट्रीय और स्वतंत्र चिकित्सा मानवीय संगठन है। इसकी स्थापना 1971 में फ्रांस में की गई थी। वास्तव में, इसकी स्थापना नाइजीरिया के बियाफ्रा क्षेत्र में युद्ध और अकाल की पृष्ठभूमि में हुई थी।
- इसका मुख्य ध्यान त्वरित, प्रभावी और निष्पक्ष रूप से आपातकालीन चिकित्सा मानवीय सहायता प्रदान करने पर है।
- कई महाद्वीपों पर किए गए अग्रणी मानवीय कार्य के लिए इसे 1999 का नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया।



सुदर्शन चक्र मिशन

प्रधान-मंत्री ने स्वतंत्रता दिवस 2025 के अपने संबोधन में 'सुदर्शन चक्र मिशन' की घोषणा की है। इस मिशन का उद्देश्य वर्ष 2035 तक देश के अति-महत्वपूर्ण असैन्य और रक्षा अवसंरचनाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

सुदर्शन चक्र मिशन के बारे में

- यह भारत की अति-महत्वपूर्ण परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा पहल है।
- इसके तहत अति-महत्वपूर्ण राष्ट्रीय स्थलों को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और शक्तिशाली हथियार प्रणालियों से लैस करके सुरक्षित बनाया जाएगा।
- इस मिशन का उद्देश्य न केवल दुश्मन के हमलों को बेअसर करना है, बल्कि सुदर्शन चक्र की तरह प्रभावी और सटीक जवाबी हमले करना भी है।
- इसे त्वरित, सटीक और शक्तिशाली रक्षा जवाबी हमले के लिए डिज़ाइन किया जाएगा जिससे भारत की रणनीतिक स्वायत्तता और अधिक मजबूत होगी।



अलास्का (संयुक्त राज्य अमेरिका)

संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के राष्ट्रपति रूस-यूक्रेन के बीच युद्ध-विराम की संभावनाओं पर विचार करने के लिए अलास्का में बैठक की।

अलास्का के बारे में

- अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका का भौगोलिक रूप से असंबद्ध (Non-Contiguous) राज्य है। यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के उत्तर-पश्चिमी सिरे पर अवस्थित है।
- अलास्का संधि 1867 के तहत इसे संयुक्त राज्य अमेरिका ने रूस से खरीदा था।
- समुद्री सीमाएं: इसके उत्तर में ब्यूफोर्ट सागर और आर्कटिक महासागर, दक्षिण में अलास्का की खाड़ी और प्रशांत महासागर, पश्चिम में बेरिंग सागर, उत्तर-पश्चिम में चुकची सागर हैं।
- नॉर्डन लाइट्स या ऑरोरा बोरेलिस अलास्का के अधिकांश हिस्सों से दिखाई देती हैं।
- लगभग एक-तिहाई अलास्का राज्य आर्कटिक सर्कल के भीतर स्थित है और लगभग 85% अलास्का परमाणुशक्ति से ढका हुआ है।



मक्का

एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, भारत में मक्का की खेती का विस्तार हुआ है, जिसका प्रमुख कारण एथेनॉल की बढ़ती मांग है।

मक्का फसल के बारे में:

- यह खरीफ फसल है। इसकी खेती के लिए 21°C से 27°C के बीच का तापमान चाहिए। यह पुरानी जलोढ़ मृदा में अच्छी तरह से उगती है।
- बिहार जैसे राज्यों में मक्का रबी सीजन में भी उगाया जाता है।
- इसे खाद्य फसल और पशु-चारा, दोनों के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।
- मक्का उत्पादक प्रमुख राज्य: कर्नाटक सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इसके बाद मध्य प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश का स्थान है।
- भारत से निर्यात (2023-24): मुख्य रूप से वियतनाम, नेपाल, बांग्लादेश, मलेशिया और थाईलैंड को।



श्रीलंका-भारत नौसेना अभ्यास-25 (SLINEX-25)

भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस राणा और आईएनएस ज्योति कोलंबो में "श्रीलंका-भारत नौसेना अभ्यास" (SLINEX-25) के 12वें संस्करण में भाग लेंगे।

- आईएनएस राणा निर्देशित मिसाइल विध्वंसक है जबकि आईएनएस ज्योति फ्लीट टैंकर है।

SLINEX-25 के बारे में:

- यह भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। इसकी शुरुआत 2005 में हुई थी।
- उद्देश्य: दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच संचालन में समन्वय सुनिश्चित करना, समुद्री सहयोग को बढ़ाना और सर्वोत्तम कार्य-प्रणालियों का आदान-प्रदान करना।
- महत्व: यह अभ्यास भारत की 'नेबरहुड फर्स्ट' और 'क्षेत्र में सुरक्षा और विकास के लिए पारस्परिक और समग्र उन्नति (महासागर/MAHASAGAR)' के सिद्धांत के अनुरूप है।



सुर्खियों में रहे स्थल



टोंगा (राजधानी: नुकु'लोफ़ा)

टोंगा में 7.1 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए।

भौगोलिक अवस्थिति

- यह दक्षिण-पश्चिमी प्रशांत महासागर में अवस्थित है।
- यह भूमध्यरेखा के दक्षिण में तथा मकर रेखा से थोड़ा ऊपर स्थित है।
- द्वीप समूह: इसके 3 मुख्य द्वीप समूह हैं; टोंगाटापु, हा'आपाई और वावा'उ।
- टोंगा राष्ट्रमंडल और संयुक्त राष्ट्र का सदस्य है।

भौगोलिक विशेषताएं

- सबसे ऊंची चोटी: हा'आपाई द्वीप समूह में काओ द्वीप।
- जलवायु: उष्णकटिबंधीय (व्यापारिक पवनों द्वारा नियंत्रित) दक्षिण प्रशांत अभिसरण क्षेत्र (SPCZ) का प्रभाव, अल-नीनो दक्षिणी दोलन (ENSO) का प्रभाव।
- टोंगा में कोई नदी नहीं बहती है।

